

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगाथिया बनाम दोली पुत्र मुखरी नाई वमनपुरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 41/2017

निर्णय दिनांक :- 26/11/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 161..... कुल रकबा 1.57..... किस्म जमीन गोठु में से 0.01..... रकबे पर श्री दोली डाल मुखरी नाई पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर दोली डाल मुखरी नाई कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगाथिया द्वारा दिनांक 29-9-17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. वडादाकात के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी दोली डाल मुखरी नाई जाति नाई निवासी वमनपुरा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी दोली उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 161..... रकबा 1.57..... में से 0.01..... रकबे किस्म गोठु है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Pais का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी Three वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगाथिया भू.अ.निरी. वडादाकात को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)